

उत्तर रेल

प्रधान कार्यालय  
बड़ौदा हाउस,  
नई दिल्ली।

मु0क्र0स0 13500/62

पं.सं. 32-ई/5 सी.पी.सी./ NDA / 05

दिनांक 21/12/2008

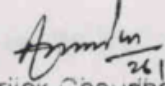
सभी मुख्य विभागाध्यक्ष  
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक  
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय  
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Rates of Night Duty Allowance w. e. f. 01- 09- 2008.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E (P&A) II -2006 / HW-2 दिनांक 16/12/2008 (आर.वी.ई.सं.199/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI -62 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-VI/2006/RSRP/1 दिनांक 04/9/2008 क्र.सं. पी.सी.-VI -1 (आर.वी.ई.सं.103/2008), PC-VI/2006/1/7/2/1 दिनांक 09/9/2008 क्र.सं. पी.सी.-VI -3 (आर.वी.ई.सं.106/2008) एवं E (P&A) II -2006 / HW-1 दिनांक 07/04/2008 की प्रतिलिपि मु0क्र0स0 13500/1, 13500/3 एवं 13449/2008 के अन्तर्गत भेजी जा चुकी हैं।

सलग्न/यथोक्त

  
(Triok Choudhary)  
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएनयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव, अ0भ0अ0वि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए.3 बसंत लेन नई दिल्ली।

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई.सं.199/2008

क्रम सं. पीसी-VI/62

सं.ई(पी एंड ए)II-2008/एच डब्ल्यू-2

नई दिल्ली, दिनांक 16-12-2008

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।  
(डाक सूची 1 और 2 के अनुसार)।

विषय :- 01.09.2008 से रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दरें।

\*\*\*\*\*

रेल मंत्रालय के दिनांक 04.09.2008 के जी.एस.आर. सं. 643-ई के तहत अधिसूचित रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और रेलवे बोर्ड के 04.09.2008 के पृष्ठांकन सं. पीसी-VI/2008/ I/आरएसआरपी/1 के (क्रम सं. पीसी-VI/1) साथ अग्रेषित तथा इस मंत्रालय के 09.09.2008 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/1/7/2/1 में समाविष्ट महंगाई भत्ते की संशोधित दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि बोर्ड के दिनांक 07.04.2008 के पत्र सं.ई(पी एंड ए)II-2008/एच.डब्ल्यू-1 के अनुबंध 'क' एवं 'ख' में यथा अधिसूचित रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दरों को 01-09-2008 से 'निरंतर', 'गहन' तथा 'वर्जित कोटियों' एवं कारखाना कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः अनुबंध 'क' में उल्लेख किए गये अनुसार तथा 'अनिवार्य सविरामी' कोटियों के संबंध में अनुबंध 'ख' में उल्लेख किए गये अनुसार संशोधित किया जाए।

2 इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मो. सलीम अहमद  
(सलीम मो. अहमद)

उपनि./स्था.(वे. एवं भ.)III,  
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : 2

सं.ई(पी एंड ए)II-2008/एच डब्ल्यू-2

नई दिल्ली, दिनांक 16.12.2008

प्रतिलिपि:

- वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।
- मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

मो. सलीम अहमद  
(सलीम मो. अहमद)

उपनि./स्था.(वे. एवं भ.)III,  
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : 2

AS-489  
17/12

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/62

RBE No.199/2008

No.E(P&A)II-2008/HW-2

New Delhi, dated 16.12.2008.

The General Managers/CAOs,  
All Indian Railways & Prod. Units etc,  
(As per mailing lists No.I & II).

Subject: Rates of Night Duty Allowance w.e.f. 1-9-2008.

+++++

Consequent upon promulgation of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 notified vide G.S.R.No.643-E dated 4.9.2008 and forwarded with Railway Board's endorsement No.PC-VI/2008/II/RSRP/1 dated 04.9.2008 (S.No.PC-VI/1) and the revised rates of Dearness Allowance as incorporated in this office letter No.PC-VI/2008/II/7/2/1 dated 09.09.2008 (S.No.PC-VI/3), the President is pleased to decide that the rates of Night Duty Allowance, as notified vide Annexure 'A' and 'B' of this office letter No.E(P&A)II-2008/HW-1 dated 07-04-2008 stands revised with effect from 01.09.2008 as indicated at Annexure 'A' in respect of 'Continuous', 'Intensive', 'Excluded' categories and workshop employees, and as indicated at Annexure 'B' in respect of 'Essentially Intermittent' categories respectively.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways..

DA:Two.

*md. Salim Ahmed*  
(Salim Md. Ahmed)  
Deputy Director/E(P&A)III,  
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/HW-2

New Delhi, dated 16.12.2008.

Copy forwarded to :

- (i) The FA&CAOs, All Indian Railways & Prod Units etc.
- (ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

DA:Two

*md. Salim Ahmed*  
(Salim Md. Ahmed)  
Deputy Director/E(P&A)III,  
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/HW-2

New Delhi, dated 16.12.2008.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

DA: Two

*Rajiv*  
for Financial Commissioner/Railways.

.....2/-

**अनुबंध 'क'**  
**ANNEXURE 'A'**

गहन, निरंतर एवं वर्जित कोटियों तथा कारखाना कर्मचारियों के लिए 1.9.2008 से लागू रात्रि-कालीन ड्यूटी भत्ते की दरें।

**Rates of Night Duty Allowance (NDA) with effect from 1.9.2008 for 'Intensive', 'Continuous' and 'Excluded' categories and Workshop staff.**

| क्रम सं. | वेतन बैंड    | ग्रेड वेतन | रात्रि-कालीन ड्यूटी भत्ते की दर |
|----------|--------------|------------|---------------------------------|
| S. No.   | Pay Band     | Grade Pay  | Rate of NDA (in Rs.)            |
| 1        | 4440 - 7440  | 1300       | 39.05                           |
| 2        | 4440 - 7440  | 1400       | 39.60                           |
| 3        | 4440 - 7440  | 1600       | 40.70                           |
| 4        | 4440 - 7440  | 1650       | 40.95                           |
| 5        | 5200 - 20200 | 1800       | 78.25                           |
| 6        | 5200 - 20200 | 1900       | 78.75                           |
| 7        | 5200 - 20200 | 2000       | 79.30                           |
| 8        | 5200 - 20200 | 2400       | 81.45                           |
| 9        | 5200 - 20200 | 2800       | 83.65                           |
| 10       | 9300 - 34800 | 4200       | 141.65                          |
| 11       | 9300 - 34800 | 4600       | 143.80                          |

**अनुबंध 'ख'**  
**ANNEXURE 'B'**

अनिवार्य संविरामी कोटियों के लिए 1.9.2008 से लागू रात्रि-कालीन ड्यूटी भत्ते की दरें।

**Rates of Night Duty Allowance (NDA) with effect from 1.9.2008 for Essentially Intermittent' categories of Staff.**

| क्रम सं. | वेतन बैंड    | ग्रेड वेतन | रात्रि-कालीन ड्यूटी भत्ते की दर |
|----------|--------------|------------|---------------------------------|
| S. No.   | Pay Band     | Grade Pay  | Rate of NDA (in Rs.)            |
| 1        | 4440 - 7440  | 1300       | 26.05                           |
| 2        | 4440 - 7440  | 1400       | 26.40                           |
| 3        | 4440 - 7440  | 1600       | 27.15                           |
| 4        | 4440 - 7440  | 1650       | 27.30                           |
| 5        | 5200 - 20200 | 1800       | 52.15                           |
| 6        | 5200 - 20200 | 1900       | 52.50                           |
| 7        | 5200 - 20200 | 2000       | 52.85                           |
| 8        | 5200 - 20200 | 2400       | 54.30                           |
| 9        | 5200 - 20200 | 2800       | 55.75                           |
| 10       | 9300 - 34800 | 4200       | 94.45                           |
| 11       | 9300 - 34800 | 4600       | 95.85                           |

गहन

ई(फ)

लेपि

(i)

(ii)

क :